तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

unless the same is patently and unequivocally clear, it cannot form a ground under Order VII Rule 11 of CPC for non suiting a plaintiff."

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जव मियाद विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है व स्थिति स्पष्ट नही हो तो दावा प्रथम दृष्टया दावा खारिज नही किया जा सकता है और उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत हस्तगत प्रकरण में चस्पा होते है। हस्तगत प्रकरण में भी उक्त मयाद का विन्दू साक्ष्य व विधि का मिश्रित प्रश्न होने से पक्षकारान की वाद साक्ष्य ही तय किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन, न्यायिक दृष्टांत तथा उक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 04 व 05 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बहस/~~आदेश~~ प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी दिनांक 27.02.2026 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन

27.2.26 [illegible] उपस्थित
[illegible] प्रार्थना पत्र
O 1 R 10 (2) CPC हेतु नियत
~~[illegible]~~
[illegible]
[illegible] प्रार्थना पत्र
दिनांक 12.3.26 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन